

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

कमांक 156 / स्था. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2009

रायपुर दिनांक 19.08.2009

--:: कार्यालयीन आदेश ::--

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "Schedule of Rates for Building works 2009 with effect from 01.06.2009" को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन में भवन कार्यों हेतु दिनांक 20.08.2009 से प्रभावशील किया जाता है। दिनांक 19.08.2009 तक जारी निविदा आमंत्रण सूचनाओं पर यह शेड्यूल ऑफ रेट्स लागू नहीं होगा एवं दिनांक 20.08.2009 को एवं इसके पश्चात् जारी होने वाली निविदा आमंत्रण सूचनाओं में इस एस.ओ. आर. को ही उल्लेखित किया जाये।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर


रायपुर दिनांक 19.08.2009

पृ०कमांक 4293 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 09

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लो०स्वा०यां०वि० मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/अम्बिकापुर/रायपुर (वि०/यां०) मण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड/परि० खण्ड/वि०/यां० खण्ड की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. शाखा कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. कार्यालयीन आदेश नस्ती।

संलग्न:- क.-1 एवं 3 के लिये S.O.R.
की प्रति।


प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर